

न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ़्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं
संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :-2020 / 00767 / आर्बिटेशन / अजमेर

1. तारा देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द चौहान निवासी मकान नम्बर 974 / 36, चौहानों का कुंआ, धोलाभांटा, अजमेर।

—परिवादी

बनाम

1. प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. डेडिकेटेड फ़्रेट कॉरीडॉर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जरिये मुख्य परियोजना अधिकारी, डेडिकेटेड फ़्रेट कॉरीडॉर, कुन्दन नगर चौराहा, अजमेर।

अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 20 (6) भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 विरुद्ध
अधिनिर्णय दिनांक 14-7-2011 व 27-10-2017 जो सक्षम अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित:-

1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक—परिवादी
2. श्री अजय गोयल, अभिभाषक — अप्रार्थी संख्या-02

पंचाट / निर्णय

दिनांक :- 03-7-2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) अजमेर के द्वारा थोक मालियान तहसील अजमेर में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 14-7-2011 व 27-10-2017 को पारित किया गया है, के विरुद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद Sub-to Limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। परिवादी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (एफ) (6) के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने परिवादी की सम्पत्ति को अवाप्त कर अवार्ड दिनांक 14-7-2011 जारी किया गया जिसकी कोई सूचना परिवादी को नहीं दी गई। इस अवार्ड से प्रभावित कुछ व्यक्तियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 29-1-2015 को हुआ जिसमें उक्त अवार्ड को निरस्त कर दिया गया और यह निर्देश दिये गये कि वे नये सिरे से अवाप्ति की कार्यवाही कर सकते हैं और इस क्रम में दिनांक 4-9-2015 को राजस्व विभाग व डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अधिकारियों ने उन सम्पत्तियों का सर्वे किया जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से कवर हो रही थी। परिवादी की सम्पत्ति का वर्णन इस सर्वे रिपोर्ट पर दर्ज है परन्तु दिनांक 14-07-2011 व उसके पश्चात दिनांक 27-10-2017 को जो अवार्ड जारी किया गया उसमें परिवादी की अवाप्त सम्पत्ति का संशोधित मुआवजा भूमि अर्जन एवं पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नहीं बनाया गया जिसके लिए परिवादी बार-बार चक्कर लगाता रहा परन्तु कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। दिनांक 27-10-2017 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया उसमें भी परिवादी का नाम दर्ज नहीं था जबकि परिवादी को यह आश्वासन दिया जाता रहा कि आगे जो संशोधित अवार्ड जारी किया जायेगा उसमें परिवादी के नाम भूमि अर्जन एवं पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित किया जायेगा। जब दिनांक 27-10-2017 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया तो उसके विरुद्ध डीएफसीसी ने सिविल न्यायालय में केवियट लगाई जिसकी प्रति परिवादी को डाक से भेजी गई। इस प्रकार परिवादी आश्वस्त होगया कि परिवादी का मुआवजा उक्त अधिनियमों के तहत बन गया होगा किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अधिकारियों ने परिवादी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी एवं आश्वासन देते रहे। इस प्रकार जो भी विलम्ब हुआ है वह उक्त वर्णित कार्यवाही के रहते हुआ है। यह परिवाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 30-5-2019 की पालना में प्रेषित किया गया है। अतः परिवाद प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत परिवाद को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्ष के अधिवक्तागण की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत

समय-समय पर जारी प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से परिवादी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य-मुख्य तर्क दिये कि परिवादी ने अपने भाईयों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 7607 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाह एवं खसरा नम्बर 7618 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाह जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28-12-1974 को क्रय की। उक्त विक्रय पत्र जिल्द संख्या 46 क्रम संख्या 2387 सफा नम्बर 133 से 138 पर दर्ज है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया गया इसके अलावा परिवादी के नाम खसरा नम्बर 7611, 7621, 7622 की भूमि भी दर्ज है। परिवादी ने खसरा नम्बर 7618 की भूमि में एल-39 एवं एल-40 पर मकान बनाए हुए है। उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी ने धारा 20ए के तहत जो विज्ञप्ति जारी की उसमें खसरा नम्बर 7618 की भूमि व भवन की अवाप्ति की कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई इसके पश्चात दिनांक 1-6-2010 को रेल्वे एक्ट की धारा 20 ई के तहत जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें भी खसरा नम्बर 7618 व उस पर बने मकानों के अवाप्ति की कोई सूचना प्रकाशित नहीं थी।

उनका यह भी तर्क है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जो अर्वाड दिनांक 14-7-2011 को जारी किया गया उसमें खसरा नम्बर 7620 की भूमि को अवाप्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई तथा खसरा नम्बर 7620 ग्राम थोक मालियान में स्थित आवास एल-39 व एल-40 को भी अवाप्ति में लिया गया परन्तु जो मुआवजा दिया गया वह भंवर लाल पुत्र गोपी कौम माली के नाम से जारी किया गया। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में जब ग्राम थोक मालियान का जो अर्वाड जारी किया गया वह अर्वाड भी भंवरलाल पुत्र गोपी कौम माली के नाम जारी किया गया उसमें भी यह अंकित किया गया कि दिनांक 1-2-2012 को पूर्व अर्वाड में संरचना का मुआवजा का भुगतान हो चुका है। दिनांक 14-7-2011 को जो अर्वाड जारी किया गया है वह भंवरलाल पुत्र श्री गोपी कौम माली को निम्न प्रकार मुआवजा दिया गया:-

कुल अवाप्ति भूमि	भूमि का मूल्य	आवासीय मकान का मूल्य	स्हायता राशि	कुल मुआवजा
0.1685 है.	10,10,398 / -	5,91,308 / -	52340 / -	16,54,113 / -

उक्त वर्णित भूमियों एवं भवन का जो मुआवजा दिया गया वह गलत है। दरअसल जो भूमि अवाप्त की गई है एवं उस पर बने दोनों मकान परिवादी के

स्वामित्व के है और यह भूमि एवं भवन ग्राम थोक मालियान में स्थित खसरा नम्बर 7618 के भाग है। सक्षम अधिकारी ने पूर्व में जारी अवार्ड दिनांक 14-7-2011 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 27-10-2017 में खसरा नम्बर 7618 की भूमि को अवाप्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इस भूमि एवं भवन को खसरा नम्बर 7620 में बतलाकर अवाप्त भूमि एवं भवन का मुआवजा भंवरलाल पुत्र गोपी के नाम जारी करना विधिसम्मत नहीं है।

उक्त कार्यवाही के विरुद्ध परिवादी ने उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष समय-समय पर आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि एवं भवन जो अवाप्त किये है वे खसरा नम्बर 7618 में स्थित है और खसरा नम्बर 7618 की भूमि व उस पर बने मकान एल-39 व एल-40 को अवाप्त नहीं किया गया है फिर भी उन्होंने प्रार्थीगण को नोटिस देकर उक्त निर्माण को ध्वस्त करने व उसका कब्जा लेने हेतु लिखा जिसके विरुद्ध परिवादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 11180/2018 प्रस्तुत की जिसमें निम्न बिन्दुओं के आधार पर रिट को स्वीकार करने का अनुरोध किया:-

1. उक्त रिट में उत्तरदाताओं को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को खसरा नम्बर 7618 में स्थित उनके आवासीय मकान नम्बर एल-39 एवं एल-40 से बेदखल नहीं किया जाये।
2. उक्त रिट में यह भी निर्देश दिये कि उत्तरदाताओं को पहले खसरा नम्बर 7618 और 7620 की भूमि की पहचान और सीमांकन करने का निर्देश दिया जाये ताकि याचिकाकर्ता को उनके स्वामित्व वाली भूमि से बेदखल नहीं किया जाये।
3. उक्त रिट में यह भी निर्देश दिये कि खसरा नम्बर 7611, 7621, 7622, 7607 एवं 7618 की भूमि का उत्तरदाताओं द्वारा फ्रेट कोरीडोर की स्थापना के लिए उपयोग करने से पहले विधिवत सीमांकन और पहचान की जाये यदि उपरोक्त भूमि का उपयोग फ्रेटकोरिडोर के लिए किया जा रहा हैतो वहीं याचिकाकर्ता को भुगतान कर कानून के अनुसार अधिग्रहण किया जाना चाहिए।
4. उक्त रिट में यह भी निर्देश है कि उत्तरदाताओं को फ्रेट कोरीडोर की स्थापना के लिए खसरा नम्बर 7611, 7621, 7622, 7607 एवं 7618 की भूमि का उपयोग से रोका जा सकता है क्योंकि कई संचारों में वे स्वयं अधिग्रहित किए जा रहे है।
5. कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश नहीं है जिसे माननीय माननीय न्यायालय मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित मानता हो।

माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष उपरोक्त बिन्दुओं के समर्थन में अनुरोध किया गया कि मकान नम्बर एल-39 व एल-40 खसरा नम्बर 7618 थोक मालियान अजमेर में स्थित है। राजस्व अधिकारियों को इस बारे में कई बार डिमार्केशन कराने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और कहा कि

पुराना नक्शा उपलब्ध नहीं होने से नाप नहीं किया जा सकता है और संभव भी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय को यह भी अनुरोध किया कि फ्रेट कोरीडोर उन्हें बेदखल करना चाह रहा है जबकि खसरा नम्बर 7618 जमीन व उस पर निर्मित दोनों मकानों को अवाप्त नहीं किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी के अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध किया कि आवासीय मकान नम्बर एल-39 व एल-40 खसरा नम्बर 7620 में स्थित है और उनकी अवाप्ति की जा चुकी है और दिनांक 14-7-2011 को जो अवार्ड जारी किया गया है जिसमें संबंधित को मुआवजा भी दिया जा चुका है। परिवादी को उक्त आवास एल-39 व एल-40 को नोटिस जारी कर दिनांक 3-5-2018 को बेदखल करने का निर्देश दिया तब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दिया तब फ्रेड कोरिडोर ने डबल बेंच में स्पेशल अपील प्रस्तुत की। डबल बेंच ने दिनांक 3-11-2018 को स्पेशल अपील निरस्त करते हुए यह आदेश दिया कि मौके पर डिमार्केशन किये बिना तथा प्रोपर अवाप्ति किये बिना परिवादी को बेदखल नहीं किया जा सकता। जो स्थगन सिंगल बेंच ने दिया है वह सही है।

उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 3-11-2018 की पालना में किसी भी पक्षकार की कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही मौके पर कोई डिमार्केशन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की पालना में रेल्वे एक्ट की धारा 20(6) के तहत यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि परिवादी के स्वामित्व की खसरा नम्बर 7618 की भूमि व उस पर बने मकानात को विधिवत रूप से अवाप्त नहीं किया है इसको अलावा परिवादी की अवाप्त की गई भूमि व भवन को खसरा नम्बर 7620 का भाग मानकर उसका मुआवजा श्री भंवरलाल पुत्र गोपी कौम माली के नाम जारी किया गया है। जबकि अवाप्ति की गई भूमि के स्वामी व मालिक परिवादी स्वयं ही है।

अन्त में परिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि परिवादी की अवाप्त भूमि व भवन का मुआवजा भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा व्यवसायिक दर से परिवादी के नाम से निर्धारित किया जाये। अवार्ड दिनांक 14-7-2011 एवं अवार्ड दिनांक 27-10-2017 में परिवादी की भूमि एवं भवन के बारे में जो मुआवजा भंवर लाल पुत्र गोपी के नाम से किया गया है उसका नाम तर्क किया जाये तथा समस्त परिलाभ परिवादी के नाम से ही जारी कर मुआवजा दिया जाये। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर अवाप्त भूमि का मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर से तथा रेलवे अधिनियम (संशोधित एक्ट नं. 11) 2008 की धारा 20 एफ (8) (एसेसी) धारा 2 जी (5), (6) धारा 20-ओ के तहत नेशनल

रिहेब्लिटेशन एण्ड री-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु. नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार अन्य सहायता राशि, स्थानांतरण राशि आदि दिलवाई जावे।

प्रभावित पक्षकार के परिवार को रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दिलाई जाये, यदि यह सम्भव नहीं हो तो एकमुश्त 5,00,000/- रूपये की राशि दिलाई जावे।

नया अवार्ड जो जारी किया गया है, उसमें भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार तय किया गया है, परन्तु मकान का मुआवजा नये प्रावधानों के तहत नहीं दिया गया है, जो दिलवाया जाये।

अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अभिभाषक ने परिवादी के कथनों के संबंध में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 14-7-2011 को अवार्ड घोषित किया गया एवं 9 वर्ष पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना सभी समय सीमा को लांघने वाला है। चन्द्रकिरण एवं अन्य बनाम DFCCIL सिविल रिट संख्या 24033/2018 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने निर्णय दिया है कि " The writ petition filed by the petitioners deserves to be dismissed for the reasons; firstly by this writ petition the petitioners have challenged the award dated 14-07-2011 after a delay of seven years and in my considered view the writ petition filed gby the petitioners deserves to be dismissed on the ground of delay & laches in view of the judgment of the Hon'ble Apex court in the matter of Tamil Nadu Housing Board(supra), as in my view in support of the inordinate delay no sufficient justification/explanation has been tendered by the petitioners"

इसका तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका इन कारणों से खारिज करने योग्य है कि सबसे पहले इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने सात साल की देरी के बार दिनांक 14-7-2011 के फैसले को चुनौती दी है और मेरे विचार में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका फैसले के मध्यनजर देरी और देरी के आधार पर खारिज की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु हाऊसिंग बोर्ड (सप्रा) क मामले जैसा कि मेरे विचार में अत्यधिक देरी के समर्थन में कोई अपवाद नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थित औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त निर्णय के आधार पर यह परिवाद स्वीकार योग्य नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन असत्य है क्योंकि 2 मकान एल-39 और एल-40 खसरा नम्बर 7620 में है जो कि परिवादी के मालिकाना हक में नहीं है। परिवादी का खसरा नम्बर 7618 की रजिस्ट्री में भी गलत तथ्य दर्शाये गये हैं। इस रजिस्ट्री में रेलवे द्वारा वर्ष 1965-66 में अवाप्त भूमि जिस पर रेलवे लाईन बिछी हुई है, को भी सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में 1965-66 में अवाप्त भूमि रेलवे के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई

है। इस बाबत परिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में 2 रिट एक सिंगल बेंच 11180/2018 व डबल बेंच 246/2019 दायर की जिसमें परिवादी न्यायालय में मामला हार गया। परिवादी का खसरा नम्बर 7620 से कोई लेना देना नहीं है। परिवाद की चरण संख्या 6 में वर्णित खसरा नम्बर 7618 का रेल्वे लाईन के पूर्व की ओर का भाग डीएफसी ने जल संसाधन विभाग से अधिग्रहित किया था एवं मकान संख्या एल-39 व 40 जिसमें श्री तारादेवी पत्नी स्व० श्री रमेशचन्द्र चौहान पुत्र श्री लालूराम का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में आवासीय मकान संख्या एल-39 व 40 को तोड़कर डीएफसी द्वारा लाईन बिछाई जा चुकी है। परिवादी द्वारा बताई गई संरचना एल-39 व 40 खसरा नम्बर 7620 में है जिसमें संबंधित हितबद्धधारियों द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है इसमें परिवादी का इससे कोई संबंध नहीं है। किसी भूमि का चिन्हीकरण करवाना मान्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड ग्राम थोक-मालियान दिनांक 14-7-2011 में परिवादी की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। जब परिवादी की भूमि अवाप्त ही नहीं की गई है तो परिवादी के नाम से अवार्ड बनाया जाना संभव नहीं है। परिवादी की आधार संख्या 9 में कथन असत्य है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया साथ ही परिवादी की भूमि अवाप्त की ही नहीं गई है तो परिवादी के नाम का अवार्ड नहीं बनाया गया है। परिवादी की आधार संख्या 10 से 38 तक में वर्णित कथन असत्य है क्योंकि परिवादी की भूमि अवाप्त ही नहीं की गई तो परिवादी के नाम का अवार्ड जारी नहीं किया गया। अतः परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। जिससे प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा थोक मालियान स्थित विभिन्न खसरा नम्बरो की भूमि/भवन की अवाप्ति के लिए नये सिरे से रेलवे एक्ट (संशोधित) 2008 के तहत धारा 20(ए) की अधिसूचना संख्या 1408 दिनांक 07-06-2016 को राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा इस अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति, अखबार अजमेर में दिनांक 22-06-2016 के संस्करण में करवाया गया। तत्पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 20ई की अधिसूचना संख्या 154(अ) दिनांक 12-01-2017 को राजपत्र में प्रकाशित की गई जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 26-01-2017 को कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 27-10-2017 को अवार्ड जारी किया जाकर हितबद्धधारियों के नाम मुआवजा निर्धारित किया गया।

सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर ने परिवादी भंवर लाल पुत्र गोपी माली के नाम दिनांक 14-07-2011 को कुल अवार्ड राशि रूपये 129614250/-जारी किया गया जिसमें से राशि रूपयें 1654113/- का अवार्ड भंवरलाल पुत्र गोपी जाति माली के नाम से जारी किया गया है। जबकि सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री रमेश चन्द्र चौहान पुत्र श्री लालूराम जाति माली के नाम से खसरा नम्बर 7620 में एल-40

संरचना आवासीय भवन का निर्माण किया हुआ है जिसमें एक कमरा बना हुआ है जो परिवारी रमेशचन्द चौहान पुत्र लालूराम के नाम से है। चूंकि रमेशचन्द चौहान पुत्र लालूराम जाति माली का स्वर्गवास हो चुका है अतः मुआवजा उसकी पत्नी तारा देवी को किया जाना चाहिए जबकि उक्त आवास की राशि परिवारिया तारादेवी पत्नी रमेशचन्द चौहान प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि परिवारी रमेश चन्द चौहान पुत्र लालूराम पत्नी तारा देवी जाति माली का खसरा नम्बर 7620 में निर्मित एल-40 मकान से परिवारी का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि रमेश चन्द चौहान पुत्र लालूराम जाति चौहान का स्वर्गवास होने पर उसके हिस्से का मुआवजा परिवारिया तारा देवी पत्नी रमेशचन्द चौहान पुत्र लालूराम को वर्तमान डी.एल.सी. रेट के हिसाब से 12 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा निर्धारण कर भुगतान कराया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर परिवारी का आर्बीटेशन परिवार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि रेल्वे अधिनियम 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2008 एवं भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के तहत संशोधित अवार्ड पारित कर प्रार्थी की संरचना का मुआवजा खसरा नम्बर 7620 में निर्धारित हो गया है एवं जिसका भुगतान यदि अन्य व्यक्ति को दिया गया है, से वसूल किया जाकर अवार्ड पारित किये जाने की दिनांक से मुआवजा प्राप्त किये जाने की दिनांक तक 12 प्रतिशत ब्याज की दर से निर्धारणकर भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 03-7-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर